"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, गुरुवार दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 02/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2012/874.—दिनांक 11 जुलाई, 2012 को नगर पंचायत केशकाल, जिला-अविभाजित बस्तर, छ.ग. के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

आर. एस. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-01/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2012

श्रीमति पीलाबाई जैन, अध्यक्ष पद आम निर्वाचन 2009 नगर पंचायत, केशकाल, जिला-अविभाजित बस्तर, छ.ग.
आवेदिका

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-घ के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 11 जुलाई 2012

1. यह प्रकरण आवेदिका श्रीमति पीलाबाई जैन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) के द्वारा प्रकरण क्रमांक एफ-147/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010 में दिनांक 23 मई 2012 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-घ के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 8 जून 2012 पर प्रारम्भ किया गया.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नगर पंचायत केशकाल जिला अविभाजित बस्तर के अध्यक्ष पद के लिए संपन्न आम निर्वाचन का परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. इस निर्वाचन में आवेदिका श्रीमति पीलाबाई जैन सहित कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) अविभाजित बस्तर ने आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2010 के साथ संलग्न प्रतिवेदन द्वारा अवगत कराया कि नगर पंचायत केशकाल के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले श्रीमति पीलाबाई जैन एवं अन्य कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल नहीं किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली श्रीमति पीलाबाई जैन सहित अन्य अभ्यर्थियों को दिनांक 5 अप्रैल 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना का जवाब श्रीमति पीलाबाई जैन द्वारा दिनांक 4 सितम्बर 2010 को आयोग को प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2010 को समयावधि में उप कोषालय अधिकारी केशकाल को समक्ष उपस्थित होकर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया है. आवेदिका के जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर का अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर ने पत्र क्रमांक 63 दिनांक 17 फरवरी 2011 के द्वारा अभिमत दिया कि आवेदिका श्रीमति पीलाबाई जैन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत न कर रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में रिटर्निंग आफिसर के द्वारा अभ्यर्थी को सूचित किया जाना था कि निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ; परन्तु रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्राप्त कर अपने स्तर से दिनांक 16 फरवरी 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा नियमानुसार आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में है. अत: अभ्यर्थी श्रीमति पीलाबाई जैन के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य है. इस पर आवेदिका श्रीमति पीलाबाई जैन को समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 17 मई 2012 को उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. अपने बयान में आवेदिका ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित बातों को दोहराया. प्रकरण में विचारोपरान्त आवेदिका को निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से अधिसूचित अधिकारी को निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक दाखिल नहीं करने के कारण आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख के उल्लंघन का दोषी पाया गया एवं तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत आवेदिका को नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए अभ्याक्षेपित आदेश दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित किया गया. उक्त आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 124 दिनांक 23 मई 2012 में हो चुका है. आवेदिका श्रीमति पीलाबाई जैन द्वारा आयोग के आदेश को निरस्त करते हुए उनकी निरर्हता हटाने हेतु आयोग के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया.

3. आवेदन पत्र के आधार स्वरूप मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के तहत पारित आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रश्नाधीन निर्वाचन व्यय लेखा उप कोषालय अधिकारी केशकाल को तथा रिटर्निंग आफिसर को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया है. आयोग ने आवेदिका को इस आशय के कोई भी हेतुक दर्शाने हेतु सूचना जारी नहीं की है कि उन्हें अधिनियम की धारा 32-ग के तहत निरर्हित किया जा सकता है. इस प्रकार आयोग का आदेश अवैधानिक एवं अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 तथा निर्वाचन व्यय लेखा (संधारण एवं प्रस्तुती) आदेश 1997 के विपरीत है. अत: उक्त आदेश को निरस्त करते हुए उनकी निरर्हता हटाने का निवेदन किया गया.

4. प्रकरण में आयोग द्वारा आवेदिका एवं उनके अधिवक्ता को दिनांक 20 जून 2012 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. आवेदिका के अधिवक्ता का तर्क सुना गया. अपने तर्क में उन्होंने आवेदन पत्र में दर्शाई गई बातों को दोहराते हुए अपनी दलील के समर्थन में वारीद जेकोब विरुद्ध सोसम्मा जीवर्गिस एवं अन्य [(2004) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस 378] तथा भारत औद्योगिक जमा एवं निवेश निगम मर्यादित विरुद्ध ग्रेप्को उद्योग मर्यादित एवं अन्य [(1999) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 710] के न्याय दृष्टान्त के प्रति आयोग का ध्यान आकृष्ट किया.

5. आवेदिका के आवेदन पत्र, प्रकरण से संबंधित अन्य अभिलेखों तथा उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील का परिशीलन किया गया. आयोग के अभ्याक्षेपित आदेश द्वारा आवेदिका को निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से अधिसूचित अधिकारी को निर्धारित समयावधि के अन्दर दाखिल नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख के उल्लंघन का दोषी पाया जाकर अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत नगर पंचायत के अध्यक्ष या पार्षद के पद से निरर्हित घोषित किया गया है. प्रकरण में आदेश होने के पूर्व आवेदिका को जवाब प्रस्तुत करने एवं प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया है. इस स्थिति में आवेदिका की यह दलील स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें निरर्हित घोषित करने हेतु समुचित हेतुक दर्शाते हुए सूचना जारी नहीं की गई थी क्योंकि आयोग के द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2010 को जारी सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वे कारण बताएं कि क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनको ऐसी कालावधि जो 5 वर्ष की अनधिक के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का अध्यक्ष/पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाये. जहां तक निर्वाचन व्यय लेखा उप कोषालय अधिकारी अथवा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करने का प्रश्न है इस बिन्दु पर आयोग के अभ्याक्षेपित आदेश में विवेचना की गई है तथा उप कोषालय अधिकारी केशकाल अथवा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत व्यय लेखा को विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं माना गया. आवेदन पत्र में ऐसा कोई नवीन अथवा सारवान तथ्यों अथवा दलीलों का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर अभ्याक्षेपित आदेश में कोई परिवर्तन करना उचित प्रतीत होता हो. इस विवेचना के पश्चात् आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अन्य दलीलों पर आलोकपात करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता. आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा दर्शाये गये उपरोक्त न्याय दृष्टांत तथ्य की दृष्टि से प्रकरण में सुसंगत प्रतीत नहीं होते हैं. अत: आयोग के अभ्याक्षेपित आदेश को निरस्त करने या उसमें कोई परिवर्तन करना उचित प्रतीत नहीं होता. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-घ के तहत प्रस्तुत यह आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 11 जुलाई 2012 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.